57/20.5.19

2019/00104

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांकः–पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी श्री राजेश पुत्र श्री मोहन लाल जाति शर्मा निवासी बाबा रामदेव मन्दिर, गली नं0 4, इन्द्रा कॉलोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र,,मुत्यु प्रमाण पत्र,, वारिसनामा पत्र,मूल रसीद, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरी माता श्रीमती पार्वती देवी पत्नी श्री मोहन लाल ने वसीयत दिनांक 25.08. 2015 को करवाई थी। प्रार्थी की माता का देहान्त दिनांक 05.10.2015 को हो चुका है। उनके द्वारा दिनांक 25.08.2015 को करवायी गयी बंद वसीयत करवायी गयी थी जिसको खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया।

प्रार्थी को गवाहान श्री मोहन लाल पुत्र श्री संत राम एवं श्री श्याम सुन्दर पुत्र श्री पुखराज ने पहचाना। प्रार्थी व गवाहों की पहचान श्री अशोक तुली, श्रीगंगानगर द्वारा की है। अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवाकर वसीयत खोले जाने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

20.5.19

जिला पंजीयक महोदय